

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
-: : आदेश : :-

आदेश सं०-27 / सु०अ०-08-21 / 2020-सा०प्र०.....पटना-15, दिनांक...../02/2026

मो० जफर रकीब, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 41/19, तत्कालीन अपर समाहर्ता, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग के ज्ञापांक-2099 दिनांक-17.11.2020 द्वारा आयोग में दायर शिकायत वाद संख्या-A8524/2018 श्री उमेश सिंह बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, कटिहार-854105/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, कटिहार-854105 में दिनांक-06.11.2020 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने में हुए लगभग 03 वर्ष के विलम्ब के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा के साथ इस विभाग के संज्ञान में लाया गया।

विभागीय पत्रांक-100 दिनांक-05.01.2021 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से उक्त के संदर्भ में सुस्पष्ट प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो स्मारोपरांत सम्प्रति अप्राप्त रहा।

सुस्पष्ट प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में तथ्यों की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मो० रकीब दिनांक-30.06.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप वर्ष 2018 का है। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत कालबाधित है।

समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा मो० जफर रकीब के विरुद्ध प्रतिवेदित इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार मो० जफर रकीब, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 41/19, तत्कालीन अपर समाहर्ता, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध प्रतिवेदित इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

ह०/-
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-27 / सु०अ०-08-21 / 2020-सा०प्र०³⁸¹⁹.....पटना-15, दिनांक²⁴...../02/2026

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/ मो० जफर रकीब, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 41/19, तत्कालीन अपर समाहर्ता, कटिहार सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता-सिपाही टोला, छोट मस्जिद के पीछे, हसन कालोनी रोज काँटेज, पो०-पूर्णियां, थाना-के० हाट, जिला पूर्णियां पिन 854301/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-12 एवं 14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आईटी० मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड
पोस्ट